न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।
पीठासीन अधिकारी   अशोक असीजा आर.ए.एस.

[illegible] 2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़

प्रार्थी

बनाम

कृष्ण कुमार पुत्र फताराम निवासी कोहला तह0 व जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी0 एक्ट

उपस्थित - 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता
2 श्री छगनलाल सिहाग अप्रार्थी अधिवक्ता

- :निर्णय:-

दिनांक - 15.06.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.06.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा मय कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल-डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरुद्ध अभियान के तहत मसीतावाली हैड तहसील टिब्बी नाका लगाकर जांच हेतु में उपस्थित हुए, मौके पर हरियाणा बोर्डर से आती हुई बोलेरो कैम्पर नं0 RJ-31-GA-5205 को रूकवाकर वाहन की तलाशी ली गई, मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 1000 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम एवं क्रय किये गये डीजल के बिल मिले। वाहन चालक ने स्वयं का नाम कृष्ण कुमार पुत्र फताराम उम्र 29 वर्ष जाति जाट निवासी कोहला तह0 हनुमानगढ़ का होना बताया। मुल्जिम कृष्ण कुमार उक्त कैम्पर में भरा स्टाक डीजल हरियाणा [illegible] पेट्रोल स्टेशन धौलपालिया तह0 ऐलनाबाद से खरीद किया गया है एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 1000 लीटर डीजल मय 05 एवं क्रय किये गये डीजल के बिल के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कालाबाजार स्पष्ट होने के कारण 1000 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम एवं क्रय किये गये डीजल के बिल तथा बोलेरो कैम्पर नं0 RJ 31-GA-5205 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री [illegible] पुत्र रणजीत उम्र 48 वर्ष जाति शर्मा निवासी टोपरिया तह0 नोहर को सुपुर्दगी में दिया गया था। इस प्रकार कृष्ण कुमार पुत्र फताराम उम्र 29 वर्ष जाति जाट निवासी कोहला तह0 हनुमानगढ़ द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त बोलेरो कैम्पर नं0 RJ 31-GA-5205 मय 1000 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम एवं क्रय किये गये डीजल के बिल को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष मे जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 17.06.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि 1000 लीटर की सीमा तक प्रकरण नहीं बनाया जा सकता है। जांच वरवक्त बता दिया गया था कि उक्त डीजल खेती कार्य एवं स्वयं के वाहन के उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। वाहन चालक को उक्त डीजल लाने की विधि अधिकारिता है, जिसके कारण [illegible] किये गये डीजल के बिल के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को प्रस्तुत नहीं किये हैं। अप्रार्थी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित

[illegible] कहा कि वाहन के [illegible] वाहन के [illegible] आदेश [illegible] को
[illegible] वाहन के [illegible] प्रभाव [illegible]। अप्रार्थी को
[illegible] वाहन की आवश्यकता [illegible] अन्य कार्य हेतु रहती है। अप्रार्थी द्वारा
[illegible] कार्य [illegible] है [illegible] वाहन की [illegible] है।
[illegible] द्वारा [illegible] के किसी भी [illegible] की अवहेलना नहीं की गई है [illegible]
[illegible] निम्नानुसार है

- यह कि Petroleum products (Maintenance of production, Storage and Supply) Order 1999 G.S.R. 272 (E) dated 16.04.1999 In exercise of the powers conferred by Sec. 3 of the Essential Commodities Act, 1955, (10 of 1955), in order to regulate production, storage and supply of petroleum products in the interest of sustaining public life, economy and protecting consumers interest, the Central Government hereby makes the following Order, namely: [illegible] आदेश के [illegible] 2 [illegible] में यह निर्धारित किया गया है कि "Retail Sale" means sale of petroleum products not exceeding 2500 liters to any one customer at a time. केन्द्रीय सरकार को [illegible] आदेश 199 [illegible] है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।
- इस संबंध में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत आर0एल0डब्लू0 2016 (1) पेज न0 534, भजनलाल कर्मजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 – धारा 6-ए राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद लाईसेंसिंग एवं नियंत्रण आदेश 1980 और मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन तथा कदाचार का निवारण) आदेश 2005 और पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और आपूर्ति का रखरखाव) आदेश 1999 (2005 व 1999 के आदेश भारत सरकार द्वारा जारी किये गये)–डीजल और उसकी जब्ती 1000 लीटर से अधिक डीजल प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया–अभिनिर्धारित – 1000 लीटर से अधिक मात्रा में डीजल का अधिग्रहण जो विभिन्न स्थानों से परिवहन की प्रक्रिया के दौरान संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किया गया था, वे 2005 और 1999 के नियंत्रण आदेशों के तहत ऐसा करने हेतु अधिकृत नहीं थे– अधिग्रहण और जब्ती की कार्यवाही दूषित हुई। पुनरीक्षण स्वीकार की।
- इस संबंध में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत आर0सी0डी0 2008 (2) पेज न0 349 भजनलाल सुरेश कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482–आवश्यक वस्तु अधिनियम – धारा 3/7–प्रसंज्ञान लिया जाना पुलिस ने इस आधार पर 1500 लीटर डीजल बरामद किया कि प्रार्थियों के कब्जे में राज्य सरकार की अधिसूचना में अनुज्ञेय सीमा 1000 लीटर से ज्यादा डीजल था–दो व्यक्ति थे जिनके कब्जे में 1511 लीटर डीजल था निर्णीत, प्रत्येक व्यक्ति कब्जे का डीजल 1000 लीटर की अनुज्ञेय सीमा में था–प्रार्थी के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का आदेश अपास्त किया।
- प्रार्थीगण कृषक पेशा व्यक्ति है। डीजल के असल बिल बरवक्त बरामदगी अन्वेषणकर्ता को दिये हुए है। अप्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार की किसी भी अधिसूचना का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, को खारिज कर अप्रार्थी की जब्त बोलेरो कैम्पर नं0 RJ-31-GA-5205 मय मय 1000 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम एवं क्रय किये गये डीजल के बिल को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। तलाशी के दौरान वाहन में पाये गये हरियाणा स्थित पेट्रोल पम्पो से खरीद किये गये डीजल के बिल की प्रतियों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी हरियाणा से अवैध रूप से डीजल का निरन्तर परिवहन कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध [illegible] तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

[illegible] अभियुक्त के [illegible] न्यायालय में सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
[illegible] किया कि [illegible] का वाहन बोलेरो कैम्पर नं0 RJ 31 GA 5205 मय 1000 लीटर डीजल
[illegible] [illegible] [illegible] के साथ जब्त हुआ है। [illegible] [illegible] [illegible] दिया गया था कि उक्त
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के वाहन के उपयोग हेतु ले जाया जा रहा था। वाहन चालक को
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] है, जिसकी [illegible] [illegible] किये गये डीजल के बिल के
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अभियुक्त द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को प्रस्तुत नहीं
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। वाहन का [illegible]
[illegible] है। [illegible] के [illegible] में खड़े रहने से वाहन के टायर [illegible] हो जायेंगे वाहन का
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के न चलने से कल पुर्जों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभियुक्त को
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अपनी खेती के कार्य एवं अन्य कार्य हेतु रहती है। अभियुक्त द्वारा
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का कार्य प्रारम्भ कर रखा है, जिस हेतु वाहन की आवश्यकता रहती है।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मय डीजल अभियुक्त को लौटाकर प्रार्थी (अभियुक्त नं0 01) के विरुद्ध
[illegible] [illegible] [illegible] कार्यवाही [illegible] [illegible] जावे।

[illegible] [illegible] [illegible] किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन
रिकार्ड के अनुसार अभियुक्त द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन
[illegible] के [illegible] प्रस्तुत नहीं किये गये है। तलाशी के दौरान वाहन में पाये गये हरियाणा
[illegible] पेट्रोल पम्पों से खरीद किये पूर्व दिनांकों के बिल की प्रतियों का अवलोकन करने से स्पष्ट
है कि अभियुक्त हरियाणा से अवैध रूप से डीजल का निरन्तर परिवहन कर रहा है। अभियुक्त ने यह
[illegible] [illegible] नहीं किया कि उसके पास कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का
[illegible] [illegible] पड़ रहा है। अभियुक्त ने कोई ट्रेक्टर के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के
[illegible] [illegible] [illegible] आदि प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार अभियुक्त का निजी उपयोग हेतु
डीजल का परिवहन किये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। यह पश्चात्वर्ती (After
[illegible]) [illegible] है जिस पर अभियुक्त अधिभाषक द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत लागू नहीं होते हैं। पत्रावली के
[illegible] [illegible] से अभियुक्त का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का
स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए अभियुक्त दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ का
प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर
1000 लीटर डीजल मय 05 प्लास्टिक ड्रम को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी
हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश
दिनांक 17.06.2021 को दिये जा चुके है, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता
है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त
राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस
में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर नं0 RJ-31-GA-5205 का प्रश्न है, वाहन
मालिक के विरुद्ध दुबारा पुनरावृत्ति नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में
दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो
कैम्पर नं0 RJ-31-GA-5205 को जब्ती से वागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड
मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन बोलेरो
कैम्पर नं0 RJ 31 GA 5205 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से
[illegible] [illegible] पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति
जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

25/06/2021
( आलोक असीजा )
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़